18/7/17	बार-बार आवाज दिलाने के बाद भी ना तो अपी० और ना ही अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित हुए। पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (मुनिदेव RAS)